<u>प्रेस विज्ञप्ति थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 16-10-2020</u>

<u>टॉप - 20 का शातिर अपराधी तमन्चा व कारतूस के साथ गिरफ्तार</u>

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर एवं क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बड़हलगंज के नेतृत्व में दिनांक 15.10.20 को समय 19.40 बजे, उ0नि0 राजेश कुमार पाण्डेय, उ0नि0 जुगेश कुमार आनन्द, का0 सत्येन्द्र भास्कर द्वारा कालेज तिराहा कस्बा बड़हलगंज थाना बडहलगंज गोरखपुर से अभियुक्त गोलू यादव पुत्र अम्विका यादव निवासी कल्यानपुर कस्बा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 – 1176/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>अभियुक्त का नाम व पता -</u>

गोलू यादव पुत्र अम्विका यादव निवासी कल्यानपुर कस्बा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

<u>बरामदगी-</u>

1. एक अदद तमन्चा 315 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

<u>गिरफ्तारी / बरामदगी का स्थान दिनांक व समय</u>

कालेज तिराहा कस्बा बड़हलगंज, थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर, दिनांक 15.10.20 समय 19.40 बजे।

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहास</u>

1. मु0अ0सं0 461/18 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 - 1176/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

<u>घटना का विवरण</u> - दिनांक 15-10-2020 को उ0नि0 राजेश कुमार पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 जुगेश कुमार आनन्द व आरक्षी सत्येन्द्र भाष्कर के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अपराधी मे गोला तिराहा पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि एक शातिर अपराधी कोई संगीन अपराध कारित करने की नियत से कालेज तिराहा कस्बा बङहलगंज पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाय तो पकङा जा सकता है, की सूचना पर अभियुक्त गोलू यादव पुत्र अम्विका यादव निवासी कल्यानपुर कस्बा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 – 1176/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को मा0 न्यायालय रिमाण्ड हेतु रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार पाण्डेय, बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 श्री जुगेश कुमार आनन्द थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
4. का0 सत्येन्द्र भास्कर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।